



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स /Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2019. / स.नि.अनु. / 324-05 / 2021
दिनांक : 25.05.2022

सूचना

विद्या-परिषद की दिनांक 25.04.2022 को संपन्न 41वीं बैठक की मद संख्या 3 में लोक सूचना में सूचनाओं के स्वप्रेरित प्रकटीकरण (Suo-motu disclosure) के अंतर्गत विद्या-परिषद, स्कूल बोर्ड, अध्ययन मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

समस्त अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, केंद्र निदेशकों से अनुरोध है कि अपने-अपने स्कूल बोर्ड, अध्ययन मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करे।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
25/05/22

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
4. जनसूचना अधिकारी
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली